



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023 / 28 मार्गशीर्ष 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

**HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA**  
Vidyut Aayog Bhawan, Block No. 37, SDA Complex, Kasumpti, Shimla- 171 009

NOTIFICATION

*Shimla, the 15th December, 2023*

**No. HPERC-F(1)-67/2023.**—In exercise of the powers conferred by sub-regulation (2) of Regulation 9 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Wheeling

Tariff & Retail Supply Tariff) Regulations, 2023 and Regulations 8 and 10 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines and Formats for Tariff Filing) Regulations, 2005, as amended from time to time, read with Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following Order to revise the formats for the Multi-Year Tariff filings by the Distribution Licensee for the Control period starting from 1st April, 2024 and thereafter, namely:—

## ORDER

**1. Short Title and Commencement.**—(1) This Order may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Formats for Multi Year Tariff Filings by the Distribution Licensee) Order, 2023.

(2) This Order shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.**—(1) In this Order, unless the context otherwise requires,—

- (a) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
- (b) “**Annexure**” means the annexure to this Order;
- (c) “**Form**” means the form annexed to this Order;
- (d) “**Regulations**” means the Regulations made under the Act.

(2) The words and expressions used and not defined herein but defined in the Act and the Regulations framed thereunder shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act or the Regulations.

**3. Forms for Multi Year Tariff Filings by the Distribution Licensee.**—(1) The Multi Year Tariff filing by the Distribution Licensee for the Control Period starting from the 1st day of April, 2024 and thereafter shall be in the Forms as given in the Annexure to this Order and hosted on the Commission’s website [www.hperc.org](http://www.hperc.org).

(2) The Forms laid down in the Annexure to this Order, with such modifications or variations, as the circumstance of each case may require, shall be used for the purpose mentioned therein and where no Form is laid down to cover a contingency, Form as may be approved by the Commission shall be used.

By the Order of the Commission,

Sd/-  
(CHHAVINANTA, HPAS),  
Secretary.

[See Para 3(1) of Order]

**FORMATS FOR TARIFF FILING BY DISTRIBUTION LICENSEES**

Sl. No.	Form Nos.	Summary Formats
1.	S1	Annual Revenue Requirement
2.	S2	Return on Equity
3.	S3	Expenditure Allocation into Fixed, Variable & Other Costs
4.	S4	Energy Balance
5.	S5	Truing Up
		<b>FINANCIAL FORMATS</b>
6.	F1	Revenue from Tariff and Charges
7.	F2	Projection of sales, consumers & connected load
8.	F3	Monthly projections of Sales
9.	F4	Revenue Grants & subsidies
10.	F5	Income from investments and Non-Tariff Income
11.	F6	Summary of HP Own Generation & Power Purchase
12.	F7	Power purchase Details
13.	F8	Intra State Transmission (TRANSCO) Charges
14.	F9	Inter State Transmission (TRANSCO) Charges
15.	F10	R&M Expenses
16.	F11	Employees' Cost & Provisions
17.	F12	Details of Employee Costs (actual expenditure incurred) 2012-13
18.	F13	Employee Strength & Deployment
19.	F14	Pension Contribution (other than Contributory Pension Scheme)
20.	F15	Employee strength for the Control Period
21.	F16	Administration & General Expenses
22.	F17	Statement of Fixed Assets and Depreciation
23.	F18	Interest & Finance charges
24.	F19	Domestic loans, bonds and financial leasing
25.	F20	Details of Existing Loans
26.	F21	Details of New Loans for each MYT Year
27.	F22	Details of Expenses Capitalised
28.	F23	Other Debits
29.	F24	Statement of Sundry Debtors & provision for bad & doubtful debtors
30.	F25	Extraordinary Items
31.	F26	Net Prior Period Expenses/Income
32.	F27	Contribution Grants & subsidies towards Capital assets

33.	F28	Project-wise / Scheme-wise Capital Expenditure
34.	F29	Statements of assets not in use
35.	F30	Investments
36.	F31	Investments in Non business related activities
37.	F32	Current Assets and Liabilities
38.	F33	Working Capital Requirement
39.	F34	Provison for Income Tax
		<b>TARIFF FORMATS</b>
40.	T1	Existing & Proposed Tariff
41.	T2	Revenue from Current Tariffs in Ensuing Year
42.	T3	Revenue from Other Charges at Current Tariffs in Ensuing Years
43.	T4	Revenue from Proposed Tariffs in Ensuing Year
44.	T5	Revenue from Other Charges at Proposed Tariffs in Ensuing Years
		<b>QUALITY OF SERVICE FORMATS</b>
45.	P1	Revenue Arrears and Agewise Analysis
46.	P2	Revenue Arrears of Government and Agewise Analysis
47.	P3	T&D Losses in LT and HT System
48.	P4	Losses in 33 KV system
49.	P5	Losses in 22 KV system
50.	P6	Losses in 11 KV system
51.	P7	Losses in LT system
52.	P8	Losses at EHV level
53.	P9	Circle-wise Losses
54.	P10	Consumer Complaint
55.	P11	Voltage Profile
56.	P12	Technical Parameters
57.	P13	Abstract of outages due to tripping in HT feeders
58.	P14	Failure of Transformers
59.	P15	Billing Periodicity
60.	P16	Electrical Accidents
61.	P17	Peak Demand
62.	P18	Release of Customer bills
63.	P19	Key Ratios
64.	P20	Debt Restructuring
65.	P21	Release of New service Connections
66.	P22	Status of Metering
67.	P23	Materials Management
68.	P24	Audit Details
69.	P25	Status of Pre-paid Metering
70.	P26	Status of Unmanned sub-stations
71.	P27	Shunt Capacitor Addition/Repair
72.	P28	Reliability Indices
73.	P29	Key Characteristics of the Distribution Network

## परिवहन विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 08 दिसम्बर, 2023

**संख्या: टी.पी.टी.-ए(3)5/2020.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 जुलाई, 2021 को यथाप्रकाशित इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और हिमाचल प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1988 की धारा 200 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराधों की बाबत उपरोक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट से अन्यथा निम्नलिखित प्राधिकारियों को, लोक हित में, अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश के प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में सम्मिलित करते हैं:—

अपराधों का प्रशमन करने के लिए सक्षम पदाभिहित प्राधिकारी	अधिकारिता	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धाराएं
यातायात निरीक्षक	सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश	177, 178, 179, 180, 181, 182, 182 क (4), 183 (1) (i), 183 (1) (ii), धारा 184 केवल यान चलाते समय हाथ में संचार उपकरण (उदाहरणार्थ मोबाइल फोन इत्यादि) का प्रयोग करने तक, 186, 189, 190 (2), 192, 192क, 194, 194क, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ, 194च, 196, 198.
वरिष्ठ मोटरयान निरीक्षक/मोटर यान निरीक्षक।	अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर।	177, 179, 180, 181, 182, 182 क (4), 183 (1) (i), 183 (i) (ii), धारा 184 केवल यान चलाते समय हाथ में संचार उपकरण (उदाहरणार्थ मोबाइल फोन आदि) का प्रयोग करने तक, 186, 189, 190(2), 192, 192क, 194, 194क, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ, 194च, 196, 198.
सहायक उप-निरीक्षक और हैड कॉन्स्टेबल, पुलिस विभाग, हिमाचल प्रदेश।	अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर।	177, 179, 180, 181, 182, 183 (1) (i), 183 (i) (ii), धारा 184 केवल यान चलाते समय हाथ में संचार उपकरण (उदाहरणार्थ मोबाइल फोन आदि) का प्रयोग करने तक, 186, 189, 190(2), 192, 194क, 194ख, 194ग, 194घ, 194ङ, 194च, 196, 198.

आदेश द्वारा,

आर0डी0नजीम,  
प्रधान सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English Text of this department Notification No. TPT-A(3)-5/2020, dated 08-12-2023 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

## TRANSPORT DEPARTMENT

### NOTIFICATION

Shimla-02, the 8th December, 2023

**No. TPT-A(3)-5/2020.**—In continuation of this Department Notification of even number dated 20th July, 2021 as published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 23rd July, 2021 and in exercise of the powers conferred by Section 200 of the Motor Vehicle Act, 1988, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to include following authorities other than specified in the aforesaid notification in respect of offence (s) under different Section of the Act *ibid* with effect from the date of publication of this notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh as competent authority in public interest:—

Designated Authorities competent to compound the offences	Jurisdiction	Sections of MV Act, 1988
Traffic Inspectors	Whole of the State	177, 178, 179, 180, 181, 182, 182A(4), 183(1) (i), 183(1) (ii), Section 184 only to the extent of using handheld communication device (e.g. mobile phone etc.) while driving, 186, 189, 190(2), 192, 192A, 194, 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196, 198.
Senior Motor Vehicles Inspectors / Motor Vehicles Inspectors.	Within their respective jurisdiction.	177, 178, 179, 180, 181, 182, 182A(4), 183(1) (i), 183(1) (ii), Section 184 only to the extent of using handheld communication device (e.g. mobile phone etc.) while driving, 186, 189, 190(2), 192, 192A, 194, 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196, 198.
Assistant Sub-Inspectors and Head Constables of the Police Department, H.P.	Within their respective jurisdiction.	177, 179, 180, 181, 182, 183(1) (i), 183(1) (ii), Section 184 only to the extent of using handheld communication device (e.g. mobile phone etc.) while driving, 186, 189, 190(2), 192, 194A, 194B, 194C, 194D, 194E, 194F, 196, 198.

By order,

R.D. NAZEEM,  
Principal Secretary (Transport).

**INDUSTRIES DEPARTMENT**  
Section-A

NOTIFICATION

*Shimla-2 the 18th December, 2023*

**No. Ind-A(C) 7-1/2016.**—In partial modification of this Department's notification of even number dated 13th June, 2023 regarding transfer/allotment of equity shares of Himachal Pradesh General Industries Corporation Ltd., the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the following shares of HPGIC Ltd., having value of Rs. 10/- each, in the name of following Officer(s) from the date of assuming his/their charge of new assignment:—

Sl. No.	Name of Present Shareholder(s)	Name of New Shareholder(s)	No. of Shares	Value of Shares (Rs. 10/- each)
1.	Sh. Abhishek Verma, IAS, Ex-Managing Director, H.P. General Industries Corporation Ltd., Shimla.	Sh. Rakesh Kumar Prajapati, IAS, Managing Director, H.P. General Industries Corporation Ltd., Shimla.	1,55,000	15,50,000/-

By order,

*Principal Secretary (Inds.) .*

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री निपुण जिंदल पुत्र श्री वेद प्रकाश जिंदल, निवासी 198/3, वार्ड नं0 11, जिंदल हाउस, देवीनगर, पौंटा साहिब, सिरमौर (हि0प्र0) वर्तमान पता डी0सी0 निवास, सेशन रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र नाम बदलने हेतु।

श्री निपुण जिंदल पुत्र श्री वेद प्रकाश जिंदल, निवासी 198/3, वार्ड नं0 11, जिंदल हाउस, देवीनगर, पौंटा साहिब, सिरमौर (हि0प्र0) वर्तमान पता डी0सी0 निवास, सेशन रोड, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी का नाम अविशा से बदल कर अविषा जिंदल रख दिया है।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम अविशा से बदल कर अविषा जिंदल किये जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह

हमारी अदालत में दिनांक 13-01-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ नाम बदले जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 14-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी  
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती इन्द्राज

श्री निपुण जिंदल पुत्र श्री वेद प्रकाश जिंदल, निवासी 198/3, वार्ड नं0 11, जिंदल हाउस, देवीनगर, पौंटा साहिब, सिरमौर (हि0प्र0) वर्तमान पता डी0सी0 निवास, सेशन रोड़, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र नाम बदलने हेतु।

श्री निपुण जिंदल पुत्र श्री वेद प्रकाश जिंदल, निवासी 198/3, वार्ड नं0 11, जिंदल हाउस, देवीनगर, पौंटा साहिब, सिरमौर (हि0प्र0) वर्तमान पता डी0सी0 निवास, सेशन रोड़, कोतवाली बाजार, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उन्होंने अपनी नाबालिग बेटी का नाम अनिका से बदल कर अनिका जिंदल रख दिया है।

इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम अनिका से बदल कर अनिका जिंदल किये जाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 13-01-2024 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ नाम बदले जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके बाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 14-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी  
एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।



ब अदालत अभिराय सिंह ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चढ़ियार,  
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकदमा संख्या : 18 / C / 2023

किस्म मुकदमा: दुरुस्ती इन्द्राज

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री शमशेर सिंह, निवासी गांव डोली खुर्द, डाकघर चढ़ियार, उप-तहसील चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उसका नाम स्कूल प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड आदि में सही नाम सतीश कुमार दर्ज है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में इन्तकाल तस्दीक करते समय उसका नाम संदिश कुमार दर्ज है जोकि गलत है। अतः आवेदक नाम राजस्व अभिलेख महाल डोली खुर्द में सही नाम श्री सतीश कुमार उर्फ संदिश कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-12-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 07-12-2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
चढ़ियार, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 52 / तह0 / 2023 जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 18-01-2024

गोरजा देवी पुत्री श्री वक्शी राम, निवासी गांव चौआ सराल पट, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुश्री मुनादी व इश्तहार अखबारी/राजपत्र हि0प्र0 बराये जन्म दर्ज करने बारे।

श्रीमती गोरजा देवी पुत्री श्री वक्शी राम, निवासी गांव चौआ सराल पट, डा0 धुपकियारा, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 20-07-1950 को गांव चौआ सराल पट, डा0 धुपकियारा,

तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत के अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत धुपकियारा को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गोरजा देवी पुत्री वक्शी राम की जन्म तिथि 20-07-1950 के पंजीकरण करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 18-01-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत विकास अधिकारी धुपकियारा को जारी कर दिया जायेगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02-12-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

### ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 51/तह0/2023

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 16-01-2024

श्रीमती सकीना देवी पुत्री स्व0 श्री भौंठा राम, गांव प्लेटा, डा0 मोलग, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत सरी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी।

श्रीमती सकीना देवी पुत्री स्व0 श्री भौंठा राम, गांव प्लेटा, डा0 मोलग, तहसील जयसिंहपुर, ग्राम पंचायत सरी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि श्रीमती सकीना देवी का जन्म दिनांक 03-06-1963 को गांव प्लेटा, ग्राम पंचायत सरी में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत सरी को जारी करवाना चाहती है।

प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त श्रीमती सकीना देवी की जन्म तिथि 03-06-1963 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-01-2024 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा इस तिथि को किसी

किस्म का उजर या एतराज पेश न होने की सूरत में बाद में किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त श्रीमती सकीना देवी की जन्म तिथि 03-06-1963 के पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत सरी को पारित कर दिये जाएंगे।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 02-12-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मु0 नं0 : 25 / तह0 / 2023

तारीख पेशी : 23-01-2024

प्रियंका कुमारी पुत्री श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव व डा0 दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पता 42 वी, बी0 एस0 ब्लॉक, चंचल पार्क, पार्ट 2 नगोली वेस्ट दिल्ली-110041 हाल पत्नी हितेश पुत्र राजवीर, निवासी गांव व डा0 सुराह-266 जिला झंझर, हरियाणा प्राथिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी / राजपत्र बराये विवाह दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी।

प्राथिया प्रियंका कुमारी पुत्री श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव व डा0 दगोह, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) हाल पता 42 वी, बी0 एस0 ब्लॉक, चंचल पार्क, पार्ट 2 नगोली वेस्ट दिल्ली-110041 हाल पत्नी हितेश पुत्र राजवीर, निवासी गांव व डा0 सुराह-266 जिला झंझर, हरियाणा ने स्वयं व अधिवक्ता श्री विनोद कुमार जग्गी के माध्यम से इस अदालत में हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व निवेदन किया है कि उनकी शादी दिनांक 30-08-2022 को हिन्दू रीति-रिवाज के साथ शादी सर्वजन वेदिक मण्डल पालिका बाजार, नजदीक पुराना बस स्टैंड, झंझर में सम्पन्न हुई थी। इस सन्दर्भ में प्राथिया ने अपने शपथ-पत्र भी संलग्न किये हैं किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत दगोह में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्राथिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 23-01-2024 को दोपहर 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त शादी दर्ज करने का आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत अधिकारी दगोह को जारी कर दिया जायेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02-12-2023 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

नम्बर मुकद्दमा : 93/2023

तारीख रजुआ : 22-11-2023

श्री देव सुख पुत्र स्व0 श्री राम पुत्र स्व0 धनी राम, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता पांगी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरखास्त बराये दुरुस्ती नाम कागजात माल।

प्रार्थी श्री देव सुख पुत्र स्व0 श्री राम पुत्र स्व0 धनी राम, निवासी गांव पांगी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी का नाम देव सुख है व दादा जी का नाम धनी राम है जोकि सही व दुरुस्त है किन्तु उप-महाल रागुरा के जमाबन्दी वर्ष 2017-18 में मालिक व एहवाल में उनका नाम वेद सिंह गलत दर्ज हुआ है जिसे सही कर देव सुख दर्ज करने व उप-महाल काशंग ग्रामंग, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2014-15 में नाम व एहवाल में प्रार्थी के दादा जी का नाम धनी राम की जगह छोदज़ल गलत दर्ज है जिसे दुरुस्त कर धनी राम दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता उप-महाल पांगी, उप-महाल रागुरा को सूचित किया जाता है कि जमाबन्दी वर्ष 2017-18 में नाम मालिक व एहवाल में प्रार्थी का नाम वेद सिंह दर्ज है जिसे दुरुस्त कर देव सुख दर्ज करने व उप-महाल काशंग ग्रामंग के जमाबन्दी वर्ष 2014-15 में प्रार्थी के दादा जी का नाम छोदज़ल दर्ज है जिसे दुरुस्त कर धनी राम दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता पांगी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-01-2024 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 07-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),  
कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

नम्बर मुकद्दमा : 94/2023

तारीख रजुआ : 22-11-2023

श्री पियूष पुत्र श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बिल बहादुर सिंह, निवासी गांव कनई, डा0 करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता खवांगी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

दरखास्त बराये दुरुस्ती नाम दादा कागजात माल।

प्रार्थी श्री पियूष पुत्र श्री मनोज कुमार पुत्र श्री बिल बहादुर सिंह, निवासी गांव कनई, डा0 करछम, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन-पत्र गुजार रखा है। प्रार्थी के दादा जी का नाम बिल बहादुर सिंह है किन्तु उप-महाल खवांगी के जमाबन्दी वर्ष 2020-21 के खाता/खतौनी नं0 72/127, खसरा नं0 1306/92, रकबा तादादी 00-01-50 है0 में मालिक व एहवाल में दादा जी का नाम दिल भादुर गलत दर्ज हुआ है जिसे सही कर बिल बहादुर सिंह दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता उप-महाल खवांगी, को सूचित किया जाता है कि उप-महाल खवांगी के जमाबन्दी वर्ष 2020-21 के खाता/खतौनी नं0 72/127, खसरा नं0 1306/92, रकबा तादादी 00-01-50 है0 में प्रार्थी के दादा का नाम दिल भादुर गलत दर्ज हुआ है जिसे सही कर बिल बहादुर सिंह दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता खवांगी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 07-01-2024 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 07-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी),  
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 92/2023

तारीख रजुआ : 09-10-2023

Smt. Kajal w/o Sh. Shanta Kumar, presently r/o V.P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम खवांगी।
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

विषय.—प्रार्थिया के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Kajal w/o Sh. Shanta Kumar ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर की अनुशंसा रिपोर्ट उप-मण्डल दण्डाधिकारी कल्पा, जिला किन्नौर के माध्यम से इस कार्यालय में पाप्त हुई है। पत्र के अवलोकन से पाया गया है कि प्रार्थिया के पुत्र Mohit Kumar का जन्म 06-12-2009 को गांव खवांगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया अपने पुत्र

का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत खवांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव खवांगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Kajal w/o Sh. Shanta Kumar के पुत्र Mohit Kumar का जन्म 06-12-2009 को गांव खवांगी में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत खवांगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 07-01-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के पुत्र के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री चैन राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार), उप-तहसील टापरी,  
जिला किन्नौर (हि0प्र0)—172104

शुभम नेगी पुत्र स्व0 श्री राजेश नेगी, निवासी गांव पुनंग, डा0 टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत रामनी के अभिलेख में फार्म नं0 10 में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

शुभम नेगी पुत्र स्व0 श्री राजेश नेगी, निवासी गांव पुनंग, डा0 टापरी, उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र वमय शपथ-पत्र पेश किया है कि शुभम नेगी पुत्र स्व0 श्री राजेश नेगी की जन्म तिथि 14-02-1999 ग्राम पंचायत रामनी के फार्म नं0 10 में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि ग्राम पंचायत रामनी के पंचायत अभिलेख के फार्म नं0 10 में शुभम नेगी पुत्र स्व0 श्री राजेश नेगी की जन्म तिथि 14-02-1999 दर्ज किए जाने में किसी प्रकार का कोई एतराज हो तो तारीख पेशी दिनांक 08 जनवरी, 2024 को या इससे पूर्व अपना उजर एवं एतराज इस अदालत में पेश करें। यदि उक्त अवधि तक कोई उजर व एतराज पेश नहीं हुआ तो आवेदक का नाम ग्राम पंचायत रामनी के अभिलेख के फार्म नं0 10 में दर्ज करने के आदेश जारी किये जाएंगे।

आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी (नायब तहसीलदार),  
उप-तहसील टापरी, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत समाहर्ता समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 12/2023

तारीख रजुआ : 21-11-2023

श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व0 देवी दयाल, निवासी गांव बारंग, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता बारंग, तहसील कल्या, जिला किन्नौर, हि0प्र0

दरखास्त बाबत राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया श्रीमती यशोदा देवी पत्नी स्व0 देवी दयाल, निवासी गांव बारंग, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक दरखास्त मय राजस्व अभिलेख/दस्तावेजों सहित आवेदन पत्र गुजार रखा है कि भूमि खाता खतौनी नं0 75 मिन/126, खसरा नं0 244, 245, 248, 250, 276, कित्ता 5, रकबा तादादी 00-21-11 है0 उप-महाल बारंग खास, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2017-18 नाम काश्तकार व एहवाल में प्रार्थिया का नाम सूरज देवी दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर यशोदा देवी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता महाल बारंग खास को सूचित किया जाता है कि भूमि खाता खतौनी नं0 75 मिन/126, खसरा नं0 244, 245, 248, 250, 276, कित्ता 5, रकबा तादादी 00-21-11 है0 उप-महाल बारंग खास, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0) के जमाबन्दी वर्ष 2017-18 नाम काश्तकार व एहवाल में प्रार्थिया का नाम सूरज देवी दर्ज है जिसे दुरुस्ती कर यशोदा देवी दर्ज करने बारे किसी भी आम जनता को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 04-01-2024 तक अपना एतराज इस अदालत में पेश कर सकता है। मियाद गुजरने आपत्ति अवधि कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।

आज दिनांक 04-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 11/2023

तारीख रजुआ : 21-11-2023

Smt. Salochna Devi d/o Late Thepten Chhering Dorje, r/o V.P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम कल्या
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्या, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)

विषय.—प्रार्थिया का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Salochna Devi d/o Late Thepten Chhering Dorje ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म 01-08-1961 को गांव कल्या में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब प्रार्थिया उपरोक्त नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्या, तहसील कल्या, जिला किन्नौर व गांव कल्या की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Salochna Devi d/o Late Thepten Chhering Dorje का जन्म 01-08-1961 को गांव कल्या में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 04-01-2024 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
कल्या, जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Vikas Shukla H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Nagu s/o Bhagat Ram, r/o Village Jatehar Bihal, P.O. Katrain, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.).

2. Sunita d/o Balbir, Village Badah, P.O. Mohal, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.)

.. Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Nagu and Sunita have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-10-2014 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.



Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 04-01-2024. The objections received after 04-01-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 05-12-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
(VIKAS SHUKLA, HAS),  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Kullu, District Kullu (H.P.).

**In the Court of Sh. Vikas Shukla H.A.S., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional  
Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Udey Ram s/o Late Sh. Khem Chand, r/o V.P.O. Jia, Tehsil Bhunter Distt. Kullu (H.P.).
2. Shakuntla Devi d/o Hari Singh, r/o Village Bashkola, P.O. Katrain, Tehsil & Distt. Kullu (H.P.) . . Applicants.

*Versus*

General Public

*Subject.*—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Udey Ram and Shakuntla Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 06-07-2023 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 11-01-2024. The objections received after 11-01-2024 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 11-12-2023 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
(VIKAS SHUKLA, HAS),  
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Kullu, District Kullu (H.P.).

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

श्री चेत प्रसाद पुत्र श्री हुना राम, निवासी गांव हाऊस नं0 83, वार्ड नं0 3, लिटल इटली, डा0 कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

## आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता

श्री चेत प्रसाद पुत्र श्री हुना राम, निवासी गांव हाऊस नं0 83, वार्ड नं0 3, लिटल इटली, डा0 कसोल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) की जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 25-06-1972 को हुआ है परन्तु नगर परिषद् मनाली के जन्म व मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहते हैं। इस बाबत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नगर परिषद् मनाली व क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि चेत प्रसाद पुत्र श्री हुना राम की जन्म तिथि 25-06-1972 है, तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री चेत प्रसाद की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 30-12-2023 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार नगर परिषद् मनाली के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

**In the Court of Sh. Bhanu Gupta, HPAS, Sub- Divisional Magistrate, Shimla (Urban),  
District Shimla (H.P.)**

1. Dr. Tejsvi Vijay Azad aged about 60 years s/o Dr. Kaushal Chand Azad, r/o Kirti Bhawan, North Oak, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla (H.P.).

2. Ms. Nivedita Azad aged about 58 years d/o Sh. Balak Ram Chauhan, Village Tahu, P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

*Subject.*—Registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Dr. Tejsvi Vijay Azad aged about 60 years s/o Dr. Kaushal Chand Azad, r/o Kirti Bhawan, North Oak, Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla (H.P.) and Ms. Nivedita Azad aged about 58 years d/o Sh. Balak Ram Chauhan, Village Tahu, P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 23-10-1992 and are living together as husband and wife since then, but the marriage has not been found entered in the records of Gram Panchayat concerned/Municipal Corporation Shimla and marriage be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before 14-01-2024, after that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 15th December, 2023.

Seal.

BHANU GUPTA (H.P.A.S.),  
*Special Marriage Officer-cum-  
Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (Urban).*

**In the Court of Shri Nishant Kumar, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H.P.)**

Smt. Meena Devi d/o Sh. Dila Ram & w/o Sh. Manohar Lal, r/o Village Galot, P.O. Panesh,  
Tehsil & Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Smt. Meena Devi d/o Sh. Dila Ram & w/o Sh. Manohar Lal, r/o Village Galot, P.O. Panesh, Tehsil & Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of herself name— Meena Devi in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Girab Khurad, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Meena Devi	Self	30-05-1978

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Girab Khurad, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 18-12-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-  
*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

**In the Court of Shri Bhanu Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),  
District Shimla (H.P.)**

Rajesh Parihar s/o Sh. Basant Parihar, r/o Village Khairi, P.O. Jubber Hatti, Tehsil Shimla Rural, Distt. Shimla (H.P.).

*Versus*

General Public

. . Respondent.

Whereas Rajesh Parihar s/o Sh. Basant Parihar, r/o Village Khairi, P.O. Jubber Hatti, Tehsil Shimla Rural, Distt. Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of

undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son name—Aaditya Parihar in the record of Registrar, Birth and Death, in Gram Panchayat Dhamoon, Shimla (H.P.).

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Aaditya Parihar	Son	16-07-2006

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Dhamoon, Shimla (H.P.), may file their claims/objections in this court on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued today on 16-12-2023 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate,  
Shimla (R), District Shimla (H.P.).*

### हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

अधिसूचना

धर्मशाला-176215, दिनांक 19 दिसम्बर, 2023

सं० वि०स०-विधायन-चुनाव/1-11/2018.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की दिनांक 19 दिसम्बर, 2023 को हुई बैठक में श्री विनय कुमार, सदस्य 57—श्री रेणुकाजी को सर्व-सम्मति से हिमाचल प्रदेश विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया।

यशपाल शर्मा,  
सचिव,  
हिमाचल प्रदेश विधान सभा।

### HIMACHAL PRADESH FOURTEENTH VIDHAN SABHA

NOTIFICATION

*Dharamshala-176215, the 19th December, 2023*

**No. V.S.-Legn.-Election/1-11/2018.**— In the meeting of the Himachal Pradesh Legislative Assembly held on the 19th December, 2023 Sh. Vinay Kumar, Member, 57—Sri Renukaji has been unanimously elected as Deputy Speaker of the Himachal Pradesh Legislative Assembly.

YASH PAUL SHARMA,  
*Secretary,  
H.P. Vidhan Sabha.*